



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोचिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)

Control Room: 0484-2666422

E-mail: [commr@cochincustoms.gov.in](mailto:commr@cochincustoms.gov.in)

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

### सार्वजनिक सूचना PUBLIC NOTICE NO. 23/2018

विषय: बहरीन राज्य द्वारा केरल से खाल निकाले और ताजे नारियलों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध-संबन्धित।

**Sub: Temporary Ban on Imports of de-husked and fresh coconuts from Kerala by the Kingdom of Bahrain -Reg**

सभी निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, आम व्यापारियों और अन्य सभी हिस्सेदारों का ध्यान बहरीन राज्य केरल से फल और सब्जियों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाते हुए जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 20/2018 दिनांक 25.05.2018 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Exporters, Custom Brokers, the Trading public and all other stake holders is invited to the Public Notice No.20/2018 dated 25.05.2018 on the temporary ban on the imports of Fruits and Vegetables from Kerala by the Kingdom of Bahrain.

2. उसी के क्रम में, बहरीन राज्य के पौध संरक्षण और संगरोध अनुभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उक्त प्रतिबंध केरल क्षेत्र में उत्पादित खाल निकले गए और ताजा नारियल के आयात पर भी लागू होंगे।

In continuation to the same, it has been clarified by the Plant Protection and Quarantine Section, Kingdom of Bahrain that the subject **ban is also applicable to the imports of de-husked and fresh coconuts originating from Kerala region.**

3. यह प्रतिबंध अगली सूचना होने तक लागू रहेगी।

The ban will be in force until further notice.

4. व्यापारियों और भागीदारों को सलाह दिया जाता है कि वे उपर्युक्त का ध्यान रखें और उसका अनुपालन करें।

The trade and stakeholders are advised to take cognisance of the above and comply with the same.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

F.No.C1/05/2017 TU. Cus.

दिनांक Dated: 08.06.2018

प्रतिलिपि Copy to :

- 1 मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।  
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
- 2 आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईजेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेशक दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
- 3 उप आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,  
Deputy Commissioner, Air Cargo Complex
- 4 सूचना बोर्ड Notice Board

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//



//जी.अनिलकुमार / G.ANILKUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)